



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939

No. 572]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 757(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2017-एकीकृत कर (दर) तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 669(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की पंक्ति 9 में, “राज्य के भीतर” शब्दों के स्थान पर “अंतर-राज्य” पढ़ें।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 757(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published at page 156 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 669(E), dated the 28th June, 2017, in line 16, for “intra-state” read “inter-state”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 758(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,—

- (i) पृष्ठ 9 की पंक्ति 31 में “30” के स्थान पर “30 या कोई अध्याय” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 35 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 37 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iv) पृष्ठ 33 की पंक्ति 39 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 51 की पंक्ति 34 में “चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य” के स्थान पर “चश्में [संशोधक से भिन्न]” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 758(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017,—

- (i) at page 75, in line 20, *for* “30” *read* “30 or any Chapter”;
- (ii) at page 99, in line 33, omit the words “other than those”;
- (iii) at page 117, in line 5, omit the words “goggles and the like, corrective, protective or other”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 759(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 710(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,—

- (i) पृष्ठ 10 की पंक्ति 9 में “30” के स्थान पर “30 या कोई अध्याय” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 36 की पंक्ति 22 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 36 की पंक्ति 24 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iv) पृष्ठ 36 की पंक्ति 26 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 56 की पंक्ति 20 में “चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य” के स्थान पर “चश्में [संशोधक से भिन्न]” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 759(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017,—

- (i) at page 87, in line 15, *for* “30” *read* “30 or any Chapter”;
- (ii) at page 108, in line 54, omit the words “other than those”;
- (iii) at page 122, in line 22, omit the words “goggles and the like, corrective, protective or other”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 760(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर), तारीख 28 जून, 2017, के पृष्ठ 171,—

- (i) पंक्ति 36 में, “8702 10” के स्थान पर “8702 10, 8702 20, 8702 30, 8702 90” पढ़ें ;
- (ii) पंक्ति 36 में, “दस या उससे अधिक” शब्दों के स्थान पर “13 से अनधिक” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 760(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, at page 175,—

- (i) in line 42, *for* “8702 10”, *read* “8702 10, 8702 20, 8702 30, 8702 90”;
- (ii) in line 42, *for* “ten or more”, *read* “not more than 13”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 761(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,—

- (i) पृष्ठ 170 की पंक्ति 28 में “30” के स्थान पर “30 या कोई अध्याय” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 198 की पंक्ति 32 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 198 की पंक्ति 34 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;

- (iv) पृष्ठ 198 की पंक्ति 36 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 220 की पंक्ति 27 में “चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य” के स्थान पर “चश्में [संशोधक से भिन्न]” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 761(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017,—

- (i) at page 247, in line 7, *for* “30” *read* “30 or any Chapter”;
- (ii) at page 272, in line 10, omit the words “other than those”;
- (iii) at page 290, in line 11, omit the words “goggles and the like, corrective, protective or other”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.01 01:39:54 +05'30'